छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-06

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025</u>

(फाल्गुन 13, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: -02 एवं 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री इन्द्र कुमार साहू एवं श्री सम्पत अग्रवाल अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री धरमलाल कौशिक के स्थान पर श्री राजेश मूणत, सदस्य अधिकृत रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 44 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या-05, पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री उमेश पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का साठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

(iii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-2024,

(iv) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

(v) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा

(vi) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य ने नगर पालिक निगम दुर्ग में निर्मित व्यावसायिक परिसरों का आवंटन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने जिला बस्तर अंतर्गत कोसारटेडा डेम के निर्माण से प्रभावित किसानों को 5 एकड़ भूमि/आवासीय प्लाट एवं नौकरी नहीं दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले

(3) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(4) श्रीमती अंबिका मरकाम

(5) श्री दलेश्वर साहू

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. चरणदास महंत, सभापति लोक लेखा समिति ने समिति का प्रथम से सत्ताइसवां तक 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री ललित चन्द्राकर

(2) श्री दलेश्वर साहू

(3) श्री पुन्नूलाल मोहले

(4) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

(5) श्री जनक ध्रुव

(6) श्री लखेश्वर बघेल

(7) श्री धरमलाल कौशिक

(8) श्रीमती अनिला भेंड़िया

8. समितियों का निर्वाचन

1. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- “सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम

223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिये अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- ''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी ।

(3) उम्मीद्वारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्याक हुआ तो, मतदान मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **"सूचना कार्यालय"** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

9. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारंभ करने हेतु श्री उमेश पटेल, सदस्य का नाम पुकारे जाने पर डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति करते हुए कथन किया कि वित्त मंत्री जी के आय-व्ययक पर भाषण शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री अनुपस्थित हैं। ऐसे में हम लोग अपना भाषण देना नहीं चाहेंगे। जब मंत्री जी आ जाए तो बुलवा लीजियेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सदन से बाहर चले गये ।)

(सदन की कार्यवाही 12.40 बजे स्थगित की जाकर 1.06 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

10. पृच्छा

श्री उमेश पटेल, सदस्य, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों द्वारा जनपद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर आपत्ति करते हुए सदन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

11. वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (जारी)

(1.30 बजे से 3.01 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्री उमेश पटेल

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अमर अग्रवाल, राघवेन्द्र कुमार सिंह, राजेश मूणत

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री दलेश्वर साहू

सायं 5.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025 (फाल्गुन-14, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा